कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 839/उरई–अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे0)/26448/2017, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 17, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाइन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–1681/14–1, दि0 09.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 04.05.2018 द्वारा इंगित विन्दुओं की विन्दुवार सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अवलोकन से विदित होता है कि :–

1– प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी द्वारा विन्दु–3 पर दी गयी सूचना में उल्लंघन रोकने में विफल विभागीय दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

2– प्रभागीय एटा द्वारा विन्दु–3 पर दी गयी सूचना में एन0पी0वी की दण्डात्मक गणना में भारत सरकार के पत्र दि0 29.01.2018 के विन्दु–वी(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ब्याज का समावेश नहीं किया गया है।

उक्त सूचना के अभाव में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है। अतः दोनों विन्दुओं की सूचना एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/10/18

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 839/ उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मैनपुरी, एटा।

3– मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो0 आफ इंडिया लि0, मैनपुरी।

17/10/18

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय
वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
पत्रांक 1440/14-1 दिनांक 17.10.2018

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, एटा को इस आशय से प्रेषित कि एटा वन प्रभाग से सम्बन्धित आपत्ति का निराकरण करते हुए आख्या व अभिलेख 04 प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अग्रेषित

प्रधान सहायक